फर्द अहकाम

संजय बनाम महमूदा बेगम वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 43/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	13/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली अन्तर्गत कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु दिनांक 25/7/24 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
	25/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार ने कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन कर सहमति प्रदान की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम को आंशिक रूप से स्वीकार कर तकासमा हेतु निर्णित किया जाता है तथा मुताबिक कुर्रेजात बंटवारा किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दर्ज रजिस्टर होकर नियमानुसार बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18–21)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0

बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0 43 / 2024 दायर दिनांक 02.04.2024

संजय बनाम महमुदा बैगम वगैराह

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 13.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री किशनलाल वादीगण अधिवक्ता निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सायपुरा पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ में स्थित वादग्रस्त भूमि खाता सं0 19 खसरा नम्बर 96 रकबा 0.0759है0, खसरा नम्बर 97 रकबा 3.7176है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.7935है0 के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से व कब्जे को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात सरस–नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग–अलग रंग भरकर कुर्रेजात के प्रस्ताव तीन–तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

डिक्री आज दिनांक 13/05/2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुकमनामा			बबतहजराय हुकमनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
43 / 2024	02 / 04 / 2024	25 / 07 / 2024

1. संजय पुत्र कल्याण प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी 384 गलता रोड, जीणमाता के खुर्द के पास, जयपुर जिला जयपुर राजस्थान। वादी

बनाम

1. महमूदा बेगम पत्नि अब्दूल रहुफ जाति मुसलमान निवासी मकान नं0 1846 सुाडियों का टीबा महरो की नदी चोकडी रामचन्द्र जी जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
2. रजिया बेगम पतिन फरीदउददीन जाति मुसलमासन निवासी मकान नं0 1846 सुाडियों का टीबा महरो की नदी चोकडी रामचन्द्र जी जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
3. कान्ता शर्मा पत्नि कल्याण जाति ब्राहमण निवासी 384, गलता रोड, जीणमाता के खुर्रे के पास, जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर (राजस्थान)। **प्रतिवादीगण**

उपस्थित अभिभावक
श्री किशनलाल :– वकील वादी

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री किशनलाल ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम सायपुरा, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ में स्थित वादग्रस्त आराजियात खाता सं0 19 के खसरा नम्बर 96 रकबा 0.0759है0, खसरा नम्बर 97 रकबा 3.7176है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.7935है0 भूमियां है। जिनका वादी संयुक्त खातेदार है जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नही हुआ है। वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तकासमा डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी का पर्चा लगान पृथक से कायम करवाया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 13.05.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने पत्रांक / एल0आर0 / 2024 / 3369 दिनांक 26.06.2024 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

(42)

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

ता ख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म
9	कान्ता शर्मा पत्नि कान्ता शर्मा पत्नि कल्याण जाति ब्राहमण निवासी 384, गलता रोड, जीणमाता के खुर्रे के पास, जयपुर खाते0 रहन पीएलबी कूकस, महमूदा बेगम पत्नि अब्दूल रहुफ जाति मुसलमान निवासी मकान नं0 1846 साुडियों का टीबा महरो की नदी चोकडी खातेदार, रजिया बेगम पतिन फरीदउददीन जाति मुसलमासन निवासी मकान नं0 1846 साुडियों का टीबा महरो की नदी चोकडी रामचन्द्र जी जयपुर, संजय पुत्र कल्याण प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी 384 गलता रोड, जीणमाता के खुर्द के पास, जयपुर जिला जयपुर खातेदार रहन पीएनबी कूकस	96 97	0.0759 3.7176	गै0मु0चाह बारानी ए
		किता 2	3.7935	—

—: प्रस्तावित :—

सं0	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म
	कान्ता शर्मा पत्नि कान्ता शर्मा पत्नि कल्याण जाति ब्राहमण निवासी 384, गलता रोड, जीणमाता के खुर्रे के पास, जयपुर खाते0 रहन पीएलबी कूकस,	97/1	1.2645	बारानी ए
	योग	किता 1	1.2645	—
	संजय पुत्र कल्याण प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी 384 गलता रोड, जीणमाता के खुर्द के पास, जयपुर जिला जयपुर खातेदार रहन पीएनबी शाखा कूकस	96 97/2	0.0759 1.1886	गै0मु0चाह बारानी ए
	योग	किता 2	1.2645	—
	रजिया बेगम पत्नि फरीद्उदीन हि0 1/2, महमूदा बेगम पत्नि अब्दूल रहुफ हि01/2 जाति मुसलमान निवासी मकान नं0 1846 साुडियों का टीबा महरो की नदी चोकडी खातेदार,	97/3	1.2645	बारानी ए
	योग	किता 1	1.2645	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 25/07/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18–21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

संजय बनाम महमूदा बेगम वगै0

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर – 43/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री किशनलाल अधिवक्ता वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

ता ख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म
9	कान्ता शर्मा पत्नि कान्ता शर्मा पत्नि कल्याण जाति ब्राहमण निवासी 384, गलता रोड, जीणमाता के खुर्रे के पास, जयपुर खाते0 रहन पीएलबी कूकस, महमूदा बेगम पत्नि अब्दूल रहुफ जाति मुसलमान निवासी मकान नं0 1846 साुडियों का टीबा महरो की नदी चोकडी खातेदार, रजिया बेगम पतिन फरीदउददीन जाति मुसलमासन निवासी मकान नं0 1846 साुडियों का टीबा महरो की नदी चोकडी रामचन्द्र जी जयपुर, संजय पुत्र कल्याण प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी 384 गलता रोड, जीणमाता के खुर्द के पास, जयपुर जिला जयपुर खातेदार रहन पीएनबी कूकस	96 97	0.0759 3.7176	गै0मु0चाह बारानी ए
		किता 2	3.7935	–

–: प्रस्तावित :–

सं0	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म
	कान्ता शर्मा पत्नि कान्ता शर्मा पत्नि कल्याण जाति ब्राहमण निवासी 384, गलता रोड, जीणमाता के खुर्रे के पास, जयपुर खाते0 रहन पीएलबी कूकस,	97/1	1.2645	बारानी ए
	योग	किता 1	1.2645	–
	संजय पुत्र कल्याण प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी 384 गलता रोड, जीणमाता के खुर्द के पास, जयपुर जिला जयपुर खातेदार रहन पीएनबी शाखा कूकस	96 97/2	0.0759 1.1886	गै0मु0चाह बारानी ए
	योग	किता 2	1.2645	–
	रजिया बेगम पत्नि फरीदउदीन हि0 1/2, महमूदा बेगम पत्नि अब्दूल रहुफ हि01/2 जाति मुसलमान निवासी मकान नं0 1846 साुडियों का टीबा महरो की नदी चोकडी खातेदार,	97/3	1.2645	बारानी ए
	योग	किता 1	1.2645	

–उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

2/4/2024

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पावन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिकी आज दिनांक 25/07/2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हज़राय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ